

## प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जो सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सीएजी अपना मत प्रकट करते हैं अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक व्यवस्था करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदार घाटी निगम नाम के पांच निगमों के संदर्भ में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के संदर्भ में कानून के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षक करने का अधिकार है।

3. 1984 में संशोधित अनुसार नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें ) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए मार्च 2015 में समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाई गई है।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) के लेखे वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (प्राप्ति की सीमा तक) के लेखाओं को कवर करते हैं। ऐसे सीपीएसईज जहां 30 नवम्बर 2015 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संदर्भ में पिछले वर्ष लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए हैं

5. कुछ सीपीएसईज के संदर्भ में, पिछले वर्ष के आंकड़े अस्थायी आंकड़ों के लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों में प्रतिस्थापन के कारण 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2 में दर्शाए गए पत्राचार के आंकड़े से मेल नहीं रखा सकते।

6. यदि इस संदर्भ में कोई अन्य परामर्श न दिया जाए तो इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईज' के सभी संदर्भों को 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' से संबंधित समझा जाएं।